



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271349
CG-DL-E-27032026-271349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948

No. 1557]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

का.आ. 1622(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास प्राधिकरण (पैन: AAAGU0071N) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” से संदर्भित किया गया है), को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत गठित प्राधिकरण बना रहता है।

[अधिसूचना सं. 33 /2026/फा. सं. 300195/48/2024-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।